अनवान:– अमरराम बनाम हीरा
मुकदमा संख्या:– 57/2016
निर्णय दिनांक:– 17.09.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा संख्या :– 51/2016 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2016/00136

वादीगण

1. अमराराम पुत्र हीराराम।
2. मीठाराम पुत्र हीराराम।
3. गोवदाराम पुत्र हीराराम के कायम मुकाम:–
4. अ. हकमाराम पुत्र गोवदाराम।
   ब. गेनाराम पुत्र गोवदाराम।
   स. खेताराम पुत्र गोवदाराम।
   द. अजोती देवी बैवा गोवदाराम।
5. मावजी पुत्र वनाराम।
6. घेवरा पुत्र वनाराम।
7. रमेश पुत्र वनाराम।
8. पोपट पुत्र वनाराम।
9. गलबाराम पुत्र करमसी।
10. हंसाराम पुत्र करमसी।
11. डामरराम पुत्र करमसी जातियान मेघवाल निवासीगण वांक तहसील सांचौर वगैरा।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हीरा पुत्र केहरा।
2. वना पुत्र केहरा।
3. प्रेमा पुत्र केहरा।
4. खूमा पुत्र वाला।
5. अजमल पुत्र वाला।
6. वजा पुत्र वाला जातियान मेघवाल निवासीगण वांक तहसील सांचौर।
7. तहसीलदार सांचौर।
8. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बिछावाड़ी तह. सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

रजु तारीख:–10.08.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:20 IST
Reason: SelfAttested

<u>उपस्थिति :–</u>

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री किशनलाल विश्नोई उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7, 8 एकपक्षीय।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

–ः निर्णय प्रार्थना–पत्र ः–

दिनांक :–17.09.2025

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारीं आराजी मौजा दांतिया व वांक में आई हुई, जिसका आपसी सहमति से धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिवत बंटवाड़ा किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी का भी विधिवत बंटवाड़ा किया जा चुका है। बंटवाड़ा आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील की जानी विधि सम्मत है। अनवान वाद श्रीमान न्यायालय के श्रवणाधिकारी में नहीं आता है। विधिक दृष्टि से वाद चलने योग्य नहीं होने से निवेदन है कि अनवान वाद चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमावें।

वादीगण की ओर से जवाब पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची तृतीय के अनुसार खातेदारी की घोषणा एवं बंटवाड़े का दावा की सुनवाई करने की अधिकारिता अदालत हाजा को है। अतः जवाब पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा पेश आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बेबुनियाद होने से खारीज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया ।

पत्रावली में सलंग्न वादपत्र, प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी मय दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

वादपत्र के चरण संख्या 3 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी में से द्वितीय सैटलमेंट में नवीन खसरा नंबर 146 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 147 रकबा 2.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.40 हैक्टेयर सृजित किये गये, जिसमें केहरा उर्फ केसरा के वारिसान वाला, हीरा, वना, करमसी, प्रेमा के प्रत्येक हिस्से में 1 / 5, 1 / 5 भूमि हक हिस्से में आती है। परंतु प्रतिवादीगण ने वादीगण को उपरोक्त पैतृक भूमि में उनके हक हिस्से में आई हुई भूमि से वंचित करने के आशय से गलत रुप से असमान बंटवाड़ा प्रशासन आपके द्वार अभियान में कर दिया गया। प्रतिवादीगण 1 / 5 हिस्सा अर्थात 1.718 हैक्टेयर भूमि का बंटवाड़ा करने का कानूनी अधिकार था।

वादपत्र के चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण की वाला, हीरा, वना, करमसी, प्रेमा के हक हिस्से में आई हुई भूमि रकबा 1.718 हैक्टेयर को अपने हक हिस्से में आई भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवाड़ा करने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:37:20 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत् 2075–2078 एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेज प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2024 को पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत हुए बंटवाड़े के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त

आराजी में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जा चुका है। पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवाड़े के पश्चात न्यायालय हाजा में उसी विषयवस्तु को लेकर वाद दायर नहीं किया जा सकता है। उक्त वादग्रस्त आराजी में आपसी सहमति से हुए बंटवाड़े के पश्चात लंबी अवधि तक उक्त बंटवाड़े को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई तथा साथ ही पक्षकारों के मध्य हुए आपसी सहमति से बंटवाड़े में यदि समान रूप से बंटवाड़ा नहीं होकर असमान रूप से बंटवाड़ा पारित कर यदि किसी पक्षकार को कम ज्यादा भूमि बांटी गई है तो वादीगण निर्धारित अवधि में उक्त बंटवाड़े की सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। बंटवाड़ा करने एवं बंटवाड़े में भूमि कम ज्यादा बांटने पर पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है न कि राजस्व न्यायालय में पुनः उसी विषयवस्तु को लेकर बंटवाड़ा एवं खातेदारी हकों हेतु वाद दायर कर सकते है। बंटवाड़ा होने के पश्चात पुनः उसी वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा बाबत् **माननीय न्यायालय राजस्व बोर्ड अजमेर के महत्वपूर्ण निर्णय गंगाधर वगैरह बनाम भोरीलाल वगैरह दिनांक 30.05.2018** में किसी पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा किये जाने के पश्चात पुनः उसी विषयवस्तु को लेकर न्यायालय हाजा में वाद दायर किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में वादीगण को वादकारण/अनुतोष हासिल नहीं होने के कारण तथा पुनः उसी विषयवस्तु अर्थात् आपसी सहमति से हुए बंटवाड़े को पुनः न्यायालय हाजा को सुनने के प्रावधान नहीं होकर अपीलीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्णतया साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण नामंजूर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को सर — सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6—7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमराराम पुत्र हीराराम। 2. मीठाराम पुत्र हीराराम। 3. गोवदाराम पुत्र हीराराम के कायम मुकामः— 4. अ. हकमाराम पुत्र गोवदाराम। ब. गेनाराम पुत्र गोवदाराम। स. खेताराम पुत्र गोवदाराम। द. अजोती देवी बैवा गोवदाराम। 5. मावजी पुत्र वनाराम। 6. घेवरा पुत्र वनाराम। 7. रमेश पुत्र वनाराम। 8. पोपट पुत्र वनाराम। 9. गलबाराम पुत्र करमसी। 10. हंसाराम पुत्र करमसी। 11. डामराराम पुत्र करमसी जातियान मेघवाल निवासीगण वांक तहसील सांचौर वगैरा।		1. हीरा पुत्र केहरा। 2. वना पुत्र केहरा। 3. प्रेमा पुत्र केहरा। 4. खूमा पुत्र वाला। 5. अजमल पुत्र वाला। 6. वजा पुत्र वाला जातियान मेघवाल निवासीगण वांक तहसील सांचौर। 7. तहसीलदार सांचौर। 8. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बिछावाड़ी तह. सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 57 / 2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:20 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाज[illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा। प्रतिवादी संख्या 1,2,7,8 एकपक्षीय, [illegible] संख्या 3 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनलाल विश्नोई मनजानिब मुद्रावलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश [illegible] नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्णतया साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण नामंजूर किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17.09.2025 को जारी की गई

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	7	00	मौजाना	4	00

सहायक कलेक्टर सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:20 IST
Reason: SelfAttested